

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021

तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र काना जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार

.....अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक...13/2/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र काना जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पाली में आदेश दिनांक 25/06/1999 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक 1587 दिनांक 12/08/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र काना जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार की ओर से श्री बच्चू सिंह जाट एडवोकेट द्वारा दिनांक 08.09.2021 को वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी को काफी मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थी के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 03/02/2023 के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पाली पर भू.अ. निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्बत 2074-76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में परोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र काना जाति बैरवा निवासी पाली तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पाली आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत्त पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्बत 2074-76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पाली पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाली के आराजी खसरा नम्बर 495/133 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पाली को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर